

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला राजनांदगांव
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :-

जिला	तहसील	ग्राम/कृषको की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	पांगरी, प.ह.नं-28/ कृषकों की संख्या 23	0.4447 हेक्टे.	छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लोहारा- रेंगाडबरी - जुनापानी- अं. चौकी मार्ग चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 15.07.2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, पांगरी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।	छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लोहारा- रेंगाडबरी - जुनापानी- अं. चौकी मार्ग चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण।
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	23
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	09
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
(छ.)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है।	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत।	-
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ।	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय-एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमशः 02 पर

पृ.क्रमांक / 3727/भू-अर्जन / 2021
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2021

- 1- सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला-राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण क्रमांक 202103093200031 अ-82 वर्ष 2020-21 सहित अग्रेषित।
- 3- नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- महाप्रबंधक, छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.राजपत्र में तथा दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करा कर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी) जिला कार्यालय, राजनांदगांव को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन, राजस्व विभाग तथा जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 6- तहसीलदार, अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मोहला के सूचना पटल में किया जाकर ग्राम में मुनादी कराई जावे तथा नियत तिथि एवं समय में ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर सुनवाई किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंबागढ़ चौकी को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा किये जाने हेतु।
- 8- सचिव ग्राम पंचायत पांगरी, विकासखंड अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित ग्राम में मुनादी कराई जावे। सुनवाई तिथि को आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

4/6/21